संख्या-1616/38-3-2001-500(16)/2000

संलग्नक-3

प्रेषक,

राजीव अग्रवाल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–3 लखनऊ::दिनांक:: 26 अप्रैल, 2001

विषय– विधायक निधि के मार्ग–दर्शी सिद्धान्त में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक विचारोंपरान्त विधायक निधि के मार्ग-दर्शी सिद्धान्त में निम्न संशोधन करने का निर्णय लिया है।

1– मार्ग–दर्शी सिद्धान्त में 1.3 का निम्न नया प्रस्तर जोड़ा जाय :–

प्रस्तर 1.3

अ– विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर भी ऐसी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु प्रतिवर्ष रु0 5.00 लाख तक की धनराशि के कार्यों की संस्तुति कर सकते हैं, जो प्रदेश के किसी भी भाग में गम्भीर आपदा की स्थिति में पुर्नवास उपायों के लिए विधायक विकास निधि योजना के अन्तर्गत अनुमेय है।

2– निम्नलिखित को प्रस्तर 2.6–क के रुप में नया उप प्रस्तर जोड़ा जाय :–

प्रस्तर 2.6–क

ब– विधायक निधि की धनराशि से विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों के भवनों एवं शिक्षण संस्था के अन्य भवनों के निर्माण एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भवनों के निर्माण के बाद उक्त निर्मित भवन का स्वामित्व संबंधित संस्था का होगा तथा यदि भूमि अभ्यर्पित करनी है तो अभ्यर्पण संस्था के पक्ष में होगा।

3– मार्ग–दर्शी सिद्धान्त के परिशिष्ट 1 में निम्न बिन्दुओं को जोड़ा जाय :–

बिन्दु–23 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों, राजकीय एवं मान्यता तथा अनुदान प्राप्त विद्यालयों के लिए आवश्यक फर्नीचर एवं पुस्तकों का कय।

बिन्दु–24 राजकीय तथा मान्यता एवं अनुदान प्रांप्त हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों में कम्प्यूटर का कय।

-----1-----2/-----

बिन्दु–25 कार्यरत राजकीय एलोपैथिक/आर्युवैदिक चिकित्सालयों के अनावासीय भवनों का निर्माण।

तद्नुसार मार्ग-दर्शी सिद्धान्त तथा समय समय पर जारी शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

(राजीव अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या–1616 (1)/38–3–2001तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
5– विधान मण्डल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण।
6– आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
8– मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 के सूचनार्थ उनके निजी सचिव को।
9– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
10– स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 ।
11– उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
127 गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजीव अग्रवाल)
विशेष सचिव।